RESEARCH PAPER | Political Science | Volume : 4 | Issue : 8 | August 2014 | ISSN - 2249-555X

भारत में विविधता और लोकतंत्र
(Diversity and Democracy in India)

KEYWORDS: विविधता, संस्कृति, संसदीय शासन, संघात्मक शासन, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति।

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. Of Political Science
Uttarakhand open University, Haldwani ,Nainital(263139)

ABSTRACT भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल है।यह जटिलता उसकी विविधता में है।यह विविधता सांस्कृतिक स्तर पर,सामाजिक स्तर पर, भाषा और धर्म के स्तर पर तथा भौगोलिक संरचना आदि के स्तर पर दिखाई देती है।इस विविधता के कारण ही हिन्दू मुस्लिम में संघर्ष दिखाई देता है। जातीय भेद और उनमें संघर्ष के साथ विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में माओवादी विप्लव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।इन गतिशील जटिलताओं की उपस्थिति में भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाना एक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है।

प्रस्तुत शोधपत्र में इस बात का अध्ययन किया जाएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार से इन गतिशील विविधताओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है।साथ ही समान स्तर पर सबको राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हुए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है अर्थात विविधता को संसदीय लोकतंत्र रूपी माला में कैसे पिरोया गया है ,इस पक्ष का अध्ययन इस शोधपत्र में किया जाएगा ।

प्रस्तावना : किसी समाज या राज्य में विविधता का तात्पर्य है कि संबंधित समाज या राज्य में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूह हों, धार्मिक समूह हों, तथा विभिन्न संस्कृति के लोग हो, बहुत सी भाषा को बोलने वालें हो साथ ही विभिन्न जातियों की उपस्थिति हो और भौगोलिक संरचना में भी भिन्नता हो। इनमें से सभी या कोई, समाज में विविधता मे परिचायक हैं।

इस परिभाषा को जब हम भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संरचना के सन्दर्भ में देखते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, भारत विविधता से युक्त देश है। इस प्रकार जब हम भारत में पाई जाने वाली विविध ाता का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुल सांस्कृतिक, बहुभाषी और जाति के आधार पर स्तरीकृत;विशेष रुप से हिन्दू समाजद्ध समाज है। जिनके हितों में भी काफी भिन्नता है।जिसमें विशेषरूप से यदि हम जाति आधारित स्तरीकृत भारतीय समाज का अध्ययन करते है तो पाते है कि बहुत सी जातियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार रही हैं।धार्मिक समूहों के मध्य भी हितों की भिन्नता और विवाद रहे हैं।साथ ही भाषागत भिन्न समूहों में भी विवाद रहा है।भौगोलिक संरचना में भिन्नता के आधार पर भी विभाजन दिखाई देता है जिसमें विशेषरूप से उत्तरपूर्व के राज्य उल्लेखनीय है। क्योंकि भौगोलिक संरचना में भिन्नता, अन्ततोगत्वा सांस्कृतिक भिन्नता को उत्पन्न करता है।

इसलिए भारत में संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से इन विविध हितों को पुष्ट करते हुए उनको संरक्षित करते हुए एक सूत्र में बांधा जाए। क्योंकि भारत धर्म के आधार पर एक दुःखद विभाजन को देख चुका है। इस प्रकार से संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौती यह भी थी कि किस प्रकार से इस विविधता को समायोजित किया जाए कि, यह देश के लिए एक अच्छाई के रूप में सामने आ सके और एक बगिया के फूल सभी बनकर, भारत रूपी बगियां के सौन्दर्य को, सौन्दय की परिभाषा बना दें।

विविधता और लोकतन्त्र : उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान के द्वारा शासन प्रणाली को अपनाने से लेकर विविध समुदायों चाहे वे भाषा, संस्कृति जाति, धर्म या क्षेत्रीय भिन्नता पर आधारित हों उन्हें संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान कर, उन्हें मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर समानता के आधार पर किया। यह कार्य विशेष संवैधानिक संरक्षण के द्वारा किया गया , जो इस प्रकार है–

सबसे पहले तो शासन प्रणाली के स्तर पर भारत में संसदीय शासन के साथ संघात्मक शासन को अपनाया गया। इसके महत्वपूर्ण कारण थे। विविधतायुक्त समाज को एक सूत्र में तभी बांधा जा सकता है जब उन्हें, उनके स्तर पर निर्णय लेने और कार्य करने की स्वतन्त्रता हो। ऐसा कार्य संघात्मक शासन अपनाकर किया गया। क्योंकि इस शासन व्यवस्था में इकाईयों को संविधान के द्वारा स्थ. ानीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेने और कार्य करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि इस विविधता को राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए। इस समस्या का समाधान भी संविधान निर्माताओं ने ढूँढ़ निक. ाला। वह संसदीय लोकतन्त्र के रूप में ।

चूँकि संसदीय शासन में ही वह अवसर है जहाँ पर शासन में सभी जाति, ध र्म, भाषा, क्षेत्र और संस्कृति आधारित समूहों के हितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।भारत में मंत्रिपरिषद में निम्न सदन (लोकसभा) की संख्या के 15 प्रतिशत के बराबर तक अर्थात संख्या में 82 मंत्री हो सकते है।इस उबबंध का परिणाम यह है कि भारत की मंत्रिपरिषद में सभी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र को मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में अवसर प्राप्त होता है,जो एक तरफ एक इकाई के रूप में जहाँ अपने समुदाय या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारत सरकार में कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, इस तरह सभी मंत्री संसदीय सिद्धान्त के अनुरूप (सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्ध ान्त) सामूहिक रूप से एक इकाई के रूप में संगठित होकर,पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, विविधता में एकता का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भी बहुत से संवैधानिक संरक्षण है जो देश की विविधता को स्वी. कार करते हुए एकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे है।जैसे व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में परम्परागत रूप से हासिये पर रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।यही नहीं यदि हम भाषायी हितो को देखे तो उन्हें भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

भाषायी विविधता से उत्पन्न होने वाली समस्या का निराकरण, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम के द्वारा त्रिभाषा सूत्र अपनाने का निश्चय करके किया गया,जिसमें प्रत्येक राज्य को अपने राज्य की भाषा में कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। साथ ही राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई की भाषा उस राज्य की भाषा में किये जाने का प्रावधान किया गया।

भारत एक ऐसा संसदीय लोकतंत्र है जो अपने में विविधता को स्वीकार करता है और उन्हें विविध प्रकार से संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।जिससे वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विकास की नीति तय कर सके।यह न केवल क्षेत्रीय,भाषायी और धार्मिक हितो को संरक्षण प्रदान करता है वरन सभी हितों को अन्तर्संबंधित और अन्तर्निर्भर होने के कारण सभी को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए समान रुप से अवसर प्रदान करता है।जिससे ये विभिन्न हित राष्ट्रीय राजनीति में भ. ागीदारी कर सक्रिय भूमिका अदा कर सके।जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरक. ारों में विभिन्न राजनीतिक दलों के रुप में और बहुमत की सरकार में मन्त्रिपरिषद के गठन में, प्रधानमन्त्री के द्वारा विविधता को अर्थात सभी जाति,धर्म ,भाषा और क्षेत्र को स्पष्ट रूप से महत्व दिया जाता दिखाई देता है।

यद्यपि इसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी है जहाँ यह दिखाई देता है कि हम लोकतंत्र के साथ विविधता को समायोजित करने में असफल रहे है ।जैसे जम्मू –कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। विविध ाता के साथ का यह प्रश्न भारत के सन्दर्भ में और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर धार्मिक विविधता है, साथ ही यह धर्म के आधार पर यह विभाजित हो चुका है।धार्मिक विविधता की समस्या का निराकरण, भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना में इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घेषित करके और धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक को मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 30 तक संरक्षण प्राप्त है। यही नहीं इन अधिकारों की रक्षा के लिए अनु0 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपचार पाना भी मौलिक अधिकार है।अनु0 32 की इसी महत्ता को देखते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है।इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को सार्वज. निक पदों पर नियुक्ति के अधिकार भी प्रदान कर, अब तक मुख्य धारा से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया।

Volume : 4 | Issue : 8 | August 2014 | ISSN - 2249-555X

विशेषरूप से हिन्दू समाज के जाति व्यवस्था में, कुरीतियों को अर्थात अश्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित करते हुए इसके समाप्ति की घोषणा की गई है।और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति न केवल सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है वरन संसद और विधानसभा में भी इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर, भारत विविधता के साथ लोकतन्त्र को अपनाने वाले राष्ट्र का अनूठा उदाहरण पेश करता है।

इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो संविधान के द्वारा विविधता को कमजोरी के रूप में नहीं किया वरन भारत की विविधता में एकता के सिद्वान्त को अपनाया गया। इसके लिए निम्न उपाय किये गये–

संघात्मक शासन के द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अपना कर विविधता को संवैध ानिक रुप से स्वीकार किया गया है।साथ ही उत्तर और उत्तरपूर्व के राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान भी किया गया। अनुसूची 5,6 जो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया।

इसके साथ–साथ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना।जिसका उद्देश्य था विविध ाता को सत्ता में भागीदारी देना जो कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है।इस प्रकार व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के मामले में आरक्षण का प्रावधान किया गया।इन सबका उद्देश्य था कि आप भारत हो, भारत के हिस्से हो, भारत आपका है।इस प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य विविधता को महत्व प्रदान करना।तथा इसके साथ संसदीय लोकतन्त्र को अपनाने का उद्देश्य इन विविधताओं को राजनीतिक रुप से एक सूत्र में पिरोना ।

जब 20 वर्ष के भारत के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं तो पाते हैं कि क्षेत्रीय दलों में उभार दिखाई देता है।जिसे देखकर आलोचकों ने यह कहना प्रारंभ किया कि इससे विघटन की प्रक्रिया तेज होगी।परन्तु इन क्षेत्रीय दलों के उभार और उनकी कार्यशैली ने भारतीय जनमानस को यह प्रशिक्षण दिया कि विविधता के साथ एक मजबूत राजनीतिक इकाई के रुप में खड़े हो सकते हैं,जो परिणाम के रुप में भारत के 16 वीं लोकसभा के चुनाव में दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत संविधान में विविधता के साथ संसदीय लोकतन्त्र के द्वारा,उपर्युक्त विविधताओं को एक दूसरे से परस्पर जोड़ने की व्यवस्था है।जिससे वे भारत सरकार मे हिस्सेदारी कर,राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

निश्कर्श –उक्त षोधपत्र में अध्ययन के उपरान्त मैंने यह पाया है कि भारत एक जटिल विविधतापूर्ण समाज है।जिसमें एक तरफ भाशा, जाति, धर्म, रहन–सहन और क्षेत्र के आधार पर भिन्नता पाई जाती है तो दूसरी तरफ इस भिन्नता के कारण हितों में भिन्नता पाई जाती है।इन हितों में भिन्नता संघर्श को जन्म देती है।जो कहीं हिन्दू–मुस्लिम संघर्श के रूप में दिखाई देती है।जैसे हाल में मुजफ्फरनगर और मेरठ में हुआ संघर्श ।इसी प्रकार जातीय भेदों से उत्पन्न संघर्श और भाशागत विवाद तथा जनजातीय हितों को लेकर माओवादी विप्लव दिखाई देता है।

इन विविधताओं और संघर्शो का निराकरण करने के लिए संविधान निर्माताओं ने विविधताओं को अपने स्तर पर निर्णय और कार्यवाही के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए संघात्मक षासन को अपनाया,तो इन विविधताओं को राश्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र में पिरोने के के लिए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया जिसमें सभी जाति,धर्म,भाशा,क्षेत्र तथा अन्य विविधताओं को केन्द्रीय मंत्रिपरिशद में स्थान का अवसर देकर सभी को मुख्य धारा से जुडने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है।इन विविधताओं को संवैधानिक संरक्षण देने के उददेश्य से ही विशेष राज्य के प्रावधान,देश के विभिन्न हासिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण(सेवाओं और संसद तथा विधानसभा में) के साथ मौलिक अधिकार और उनके प्रवर्तन के लिए भी मौलिक अधिकार (अनु. 32) के प्रावधान करते हुए विविधताओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया है।लेकिन इस शोधपत्र के अन्त में हम यंह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोकतंत्र का होना मात्र ही विविधता के समायोजन की गारण्टी नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि इसे कहें तो यह कि संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक स्तर पर लोकतंत्र की गारण्टी के बिना विविधता का समायोजन संभव नहीं है।

REFERENCE
1.ब्रज किशोर शर्मा – भारतीय संविधान द्य 2.डी.डी. बासु– भारतीय संविधान एक परिचय द्य 3.बेयर एक्ट ... भारतीय संविधान द्य 4.डॉ. आर.एन. त्रिवेदी डॉ.एपी राय – भारतीय सरकार एवं राजनीति द्य 5.डॉ. रूपा मंगलानी – भारतीय शासन एवं राजनीति द्य 6–डॉ. प्रभुदत्त शर्मा – भारतीय प्रशासन | 7.J.C.Jauhari –The Constitution of India | 8.राम अहूजा – भारतीय समाज | 9- Vedio lecture of Yogendra Yadav on Diversity and Democracy |